प्रेस नोट

दिनांक 22.02.2026

राजकीय डिग्री कॉलेज कुछेछा में वृहद विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर का सफल आयोजन।

आज दिनांक 22.02.2026 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज, कुछेछा, हमीरपुर में एक वृहद विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान करना था, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर विधिक सेवाओं का लाभ उठा सकें।

कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय श्री सैयद कमर हसन रिजवी, न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रशासनिक न्यायाधीश, हमीरपुर) द्वारा वर्चुअल माध्यम से फीता काटकर किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने विधिक जागरूकता को सशक्त समाज की आधारशिला बताते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर निर्धन, वंचित एवं कमजोर वर्गों तक न्याय सुलभ कराना है। उन्होंने विद्यार्थियों को कानून की मूलभूत जानकारी प्राप्त कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जिला जज, हमीरपुर द्वारा की गई। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में न्याय विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त समन्वय से शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता एवं वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे शिविर समाज में विधिक चेतना विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा जनहित से संबंधित स्टॉल लगाए गए। राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों ने अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। हमीरपुर पुलिस द्वारा भी एक विस्तृत जन-जागरूकता स्टॉल स्थापित किया गया, जिसमें 'मिशन शक्ति', डायल 112 आपातकालीन सेवा, यातायात नियमों का पालन, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न निवारण, साइबर अपराध से बचाव तथा महिला सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी साझा की गई। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपस्थित जनसमूह को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, शिकायत निवारण तंत्र तथा त्वरित सहायता सेवाओं के बारे में अवगत कराया।

विशेष रूप से महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित कानूनों, साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों तथा घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न के मामलों में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उपस्थित आमजन/जनसमूह को डिजिटल सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई।

इस अवसर पर जनपद के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, अपर पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर, मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की और विधिक विषयों पर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।